क्रं. 1694/T.L./2020
दि. 28-1-2020

(1)

कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

राजगढ़, दिनांक 27 जनवरी, 2020

दिनांक 27 जनवरी, 2020 को आयोजित समय–सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए गए मुख्य निर्देशः–

1– सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों, 100 दिवस एवं 300 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की, समीक्षा के दौरान पाया गया कि लंबित शिकायतों में पूर्व सप्ताह की तुलना में वृद्धि हुई है, अतः समस्त जिला अधिकारीगण अपने– अपने विभाग में सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों का संतुष्टि के साथ निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– सर्व जिलाधिकारीगण, जिला राजगढ)

2– आगामी जन अधिकार कार्यकम हेतु चयनित विषय अनुसार संबंधित अधिकारीगण (पंचायती राज, कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं जय किसान ऋण माफी) अपने विभाग में लंबित शिकायतों का संतुष्टि के साथ निराकरण कर स्थिति को शुन्य किया जाना सुनिश्चित करें।

अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ नजूल अनापत्ति संबंधी मामले एवं नजूल नामान्तरण एवं लीज नवीनीकरण संबंधी समस्त मामलों में समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला राजगढ से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के साथ शिकायतों का निराकरण करें।

(कार्यवाही– सर्व संबंधित जिलाधिकारी, जिला राजगढ)

3– जिले के बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम हेतु कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्र/छात्राओं को पूर्व 05 वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल करावें, साथ ही प्रति सप्ताह स्मार्ट क्लासेस की प्रगति (निर्मित/निमार्णाधीन) से मुझे अवगत करावें ।

(कार्यवाही– सीईओ, जि.पं./डीईओ/डीपीसी, जिला राजगढ)

4– पूर्व से जिले में प्रचलित नातरा–झगड़ा कुप्रथा को दूर करने हेतु चलाऐ जा रहे अभियान **"नातरा–झगड़ा मुक्त राजगढ़ अभियान"** अंतर्गत प्राप्त प्रत्येक शिकायत का तत्परता के साथ निराकरण करें, शपथ एवं स्लोगन का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करें, अभियान अंतर्गत जिले में की जाने वाली समस्त गतिविधियों हेतु कैलेण्डर तैयार कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें तथा सम्पूर्ण कृत कार्यवाहियों का रिकॉर्ड जिला कार्यालय में रखा जावे।

(कार्यवाही – डीपीओ/डीडब्ल्यूईओ,म.बा.वि.वि. जिला राजगढ)

5– दिनांक 26 जनवरी, 20 को आयोजित गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम समस्त अधिकारीगणों के सहयोग से बहुत अच्छा रहा, इसके लिये समस्त अधिकारीगण को बधाई दी गई, कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त छात्र/छात्राओं द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी गई, अतः समस्त छात्र/छात्राओं को प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पचायत/डीईओ/डीपीसी, जिला राजगढ)

6– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के निर्देश अनुसार जिले के समस्त महिला समूह का बैंक खाता खुलवाया जाना है, किंतु बैंक मैनेजर्स द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। अतः जिला प्रबंधक, एसआरएलएम एवं जिला अग्रणी प्रबंधक, बीओआई, जिला राजगढ़ को निर्देशित किया गया कि आपस में समन्वय

क्र 1694/T.L./20
दि. 28-1-2020

(2)

स्थापित कर आगामी 01 सप्ताह में समस्त महिला समूहों के खाते खुलवाये जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– डीएम,एसआरएलएम/एलडीएम, जिला राजगढ़)

7– प्रदेश में कई प्रकार की सेवाओं/नौकरियों हेतु शासन द्वारा भर्ती परिक्षाओं का आयोजन किया जावेगा, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ़ विभिन्न जॉब्स के नोटिफिकेशन एवं आवश्यक क्वालिफिकेशन का विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रचार–प्रसार कर समस्त छात्र/छात्राओं को आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करें एवं अंतिम तिथियों की भी जानकारी प्रदान करें, ताकि अंतिम तिथि से पूर्व छात्र/छात्राओं द्वारा योग्यता अनुसार विभिन्न जॉब्स हेतु एप्लाय किया जा सके। कक्षा 10 वी एवं 12वी के परीक्षा परिणाम आने के उपरांत ऐसे समस्त छात्र/छात्राओं को कोचिंग की सुविधा जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

(कार्यवाही– सीईओ,जि.प./डीईओ/डीपीसी/प्राचार्य, शासकीय कॉलेज, जिला राजगढ़)

8– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ स्वास्थ्य विभाग को आंबटित बजट में से कुल कितनी राशि वर्तमान में शेष है तथा इस राशि का अस्पतालों की बेहतरी के लिये किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ़ को उपलब्ध करावे।

(कार्यवाही – सीईओ, जि.प./सीएमएचओ/सीएस, जिला राजगढ़)

9– जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, जिला राजगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि शासन निर्देश अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आनंद उत्सव का आयोजन किया जाना है जिसमें विभिन्न ग्रामों में पौराणिक खेल ग्रामवासियों के साथ आयोजित किये जावेगें। तत्संबंध में निर्देश दिये गये कि आनंद उत्सव कार्यक्रमों के दौरान आयोजित खेलों में ग्रामवासियों को नातरा–झगड़ा कुप्रथा एवं एनीमिया के कारण होने वाली समस्याओं आदि के प्रति के जागरूक किये जाने हेतु कैलेण्डर तैयार कर मुझे अवगत करावें, ताकि खेलों के माध्यम से ग्रामवासियों में रोगों एवं कुप्रथाओं के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता लायी जा सके।

(कार्यवाही – जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, जिला राजगढ़)

10– अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ जिले की उपार्जन एवं पंजीयन संबंधी कार्यो की समीक्षा कर वस्तुस्थिति से मुझे अवगत करावें।

(कार्यवाही – एडीएम/डीएसओ,फूड जिला राजगढ़)

11– स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु जिले में आये जांच दल को विभिन्न स्थानों का भ्रमण कराया जाकर किये गये कार्यों से अवगत करावें।

नगरीय निकायों में वार्ड आरक्षण की सम्पूर्ण प्रकिया के पर्यवेक्षण हेतु श्री अग्निवंशी, संयुक्त कलेक्टर, जिला राजगढ़ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(कार्यवाही – संयुक्त कलेक्टर/पीओ,डूडा, जिला राजगढ़)

12– वन अधिकार पट्टे हेतु पात्रता रखने वाले हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करावे साथ ही किन आधारों पर ग्रामवासियों को अपात्र किया जा रहा है, समस्त तथ्यों से मुझे अवगत करावे तथा प्रत्येक प्रकरण के दस्तावेज रिकॉर्ड हेतु संकलित किये जावे। उक्त कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी गति से चल रही है अतः तीव्रता से कार्य पूर्ण करें।

(कार्यवाही – सीईओ, जि.प./डीओ,ट्राईबल, जिला राजगढ़)

13– जिले में निर्मित गौशालाओं की समीक्षा के दौरान अच्छी गौशालाओं के निमार्ण हेतु संबंधित अधिकारीगणों को बधाई दी गई। सीईओ, जि.प. जिला राजगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि मात्र 5–6 गौशालाओं के अतिरिक्त फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक समस्त

क्रं.1694/T.L./2020
दि. 28-1-2020

(3)

गौशालाऐं निर्मित हो जावेगी। प्रत्येक गौशाला की पुस्तक तैयार करने हेतु तस्वीरे संकलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही – सीईओ, जि.प./ईई.आरईएस/डीडी, वेट, जिला राजगढ़)

14– दिनांक 11.01.20 को ग्राम लखनवास, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जल की समुचित समुचित व्यवस्था न होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, अतः आपके द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु क्या कार्यवाही की गई, से आगामी टीएल बैठक में अवगत करावे साथ ही सीईओ, जि.प., जिला राजगढ़ भी ग्राम पंचायत से फीडबैक प्राप्त कर मुझे अवगत करावे।

(कार्यवाही – सीईओ, जि.प./कार्यपालन यंत्री, पीएचईडी, जिला राजगढ़)

15– कार्यपालन यंत्री, जल निगम, जिला राजगढ़ ग्राम बोरदाश्री में जल की समुचित व्यवस्था करें तथा बैठक में हुई चर्चा अनुसार भूमि आबंटन हेतु पत्राचार करें।

(कार्यवाही– ईई, जलनिगम, जिला राजगढ)

16– अधीक्षण यंत्री, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जिला राजगढ़ जिला मुख्यालय स्थित आईटीआई में विद्युत का 03 फेस कनेक्शन आगामी टीएल बैठक के पूर्व प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– एसई,एमपीईबी, जिला राजगढ)

17– समस्त जिला अधिकारीगण सुनिश्चित करें कि जिन न्यायालयीन प्रकरणों में जबाव प्रस्तुत करने हेतु आपको अथवा आपके अधीनस्थ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है उन समस्त प्रकरणों में निर्धारित समय–सीमा में जबाब माननीय न्यायालय में पेश किया जावे। अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें आज दिनांक तक जबाब संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, की सूची मुझे उपलब्ध करावें।

(कार्यवाही– सर्व संबंधित जिलाधिकारीगण, जिला राजगढ)

18– आगामी टीएल बैठक में मेरे द्वारा जिला योजना समिति की बैठक एवं आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम (ग्राम लखनवास, तहसील ब्यावरा) के कार्यवाही विवरण अनुसार पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की जावेगी, अतः सर्व संबंधित जिला अधिकारीगण आगामी टीएल बैठक से पूर्व बैठक एवं कार्यक्रम का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यबाही– सर्व जिलाधिकारीगण, जिला राजगढ)

19– SAM FREE RAJGARH अभियान अंतर्गत समस्त जिला अधिकारीगणों द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। अतः समस्त जिला अधिकारीगणों को व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– सीईओ,जि.प./डीपीओ, म.बा.वि. जिला राजगढ)

20– प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को शासन की समस्त योजनाओं का लाभ मिले इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सर्व संबंधित अधिकारीगण आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– सर्व संबंधित जिलाधिकारीगण, जिला राजगढ)

21– सशस्त्र सेना झण्डा दिवस हेतु निर्धारित राशि अनुसार संबंधित जिला अधिकारी आगामी टीएल बैठक से पूर्व इस कार्यालय में राशि जमा करवायी जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी– एससी–2 शाखा/सर्व संबंधित जिलाधिकारीगण, जिला राजगढ)

क्र. 1694/T.L./20
दि. 28-1-2020

(5)

22— कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (पीआईयू), जिला राजगढ़ बैठक में दिये गये निर्देश अनुसार संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से समन्वय स्थापित कर न्यायालय भवन/आवास की ड्रॉईंग डिजाईन अनुसार भूमि का स्थल निरीक्षण कर भूमि आबंटन हेतु नस्ती प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही—ईई. पीआईयू/संबंधित एसडीएम, जिला राजगढ़)

कलेक्टर,
जिला राजगढ़, म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

क्रमांक 1694/टीएल/20

राजगढ़, दिनांक 27 जनवरी, 2020
28-1-2020

प्रतिलिपि

1— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ़।

2— अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़।

3— संयुक्त कलेक्टर, जिला राजगढ़।

4— डिप्टी कलेक्टर, समस्त.. जिला राजगढ़।

5— सर्व जिलाधिकारी...जिला राजगढ़

6— समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).. जिला राजगढ़।

7— समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.......................................जिला राजगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं दिए गए निर्देशों का पालन कर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

कलेक्टर,
जिला राजगढ़, म.प्र.